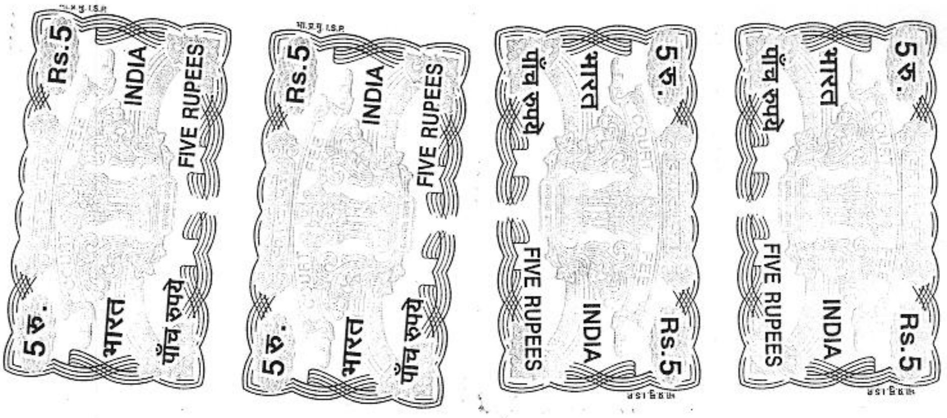

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

रेस्टोरेशन प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–सतना रेस्टो /3733-II/15

दिनांक 10-11-15 को श्री एस० के० कावसी काउं० द्वारा प्रस्तुत। 10-11-15

शैलेन्द्र त्रिपाठी पुत्र श्री श्यामसुन्दर त्रिपाठी, निवासी ग्राम रहिकवारा, तहसील नागोद, जिला सतना (म.प्र.)

— प्रार्थी

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन, द्वारा – कलेक्टर, सतना जिला सतना (म.प्र.)

— प्रतिप्रार्थी

10/11/15

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 94-I/2008 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30 मई, 2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 9 के नियम 32 के अधीन रेस्टोरेशन आवेदन–पत्र।

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से यह आवेदन सविनय निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय, आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गयी थी, जोकि माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन थी। किन्तु अभिभाषक की उपस्थिति के अभाव में उक्त निगरानी समाप्त कर दी गयी है।

2. यहकि, प्रार्थी द्वारा उपरोक्त प्रकरण में सतना के स्थानीय अधिवक्ता श्री रमेश कुमार मिश्रा को प्रकरण में पैरवी करने हेतु अधिवक्ता नियुक्त किया था एवं उन्हें प्रकरण से सम्बन्धित समस्त कागजात तथा अधिवक्ता फीस प्रदान कर दी गई थी एवं श्री मिश्रा, अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी को सलाह दी गई थी कि उसे प्रकरण में लगने वाली तारीख पेशियों पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह स्वयं उपस्थित होकर पैरवी करते रहेंगे।

3. यहकि, प्रार्थी अपने अधिवक्ता श्री रमेश कुमार मिश्रा की सलाह के अनुसार प्रकरण में तारीख पेशियों पर उपस्थित नहीं होते थे एवं श्री मिश्रा जी प्रकरण में उपस्थित होकर कार्यवाही में भाग ले रहे थे। उपरोक्त प्रकरण में नियत तारीख पेशी दिनांक 30/5/15 को प्रार्थी के अधिवक्ता किन्हीं कारणोंवश

XXXIX(a)-BR(H)-11

(118)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. रि०नि० 3733-दो/15 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.12.15	आवेदक अभि. श्री एस.के. अपनी उपस्थित। आवेदक अभि. के द्वारा रेस्टोरेशन के संबंध में बताए गये कारण समाधानकारक होने के कारण मूल प्रकरण क्र. R-94-दो/08 पुनः नम्बर पर लिया जाता है। यह प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (हस्ताक्षर) सदस्य	

[कृ. प. उ.